न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ (झुन्झुनू)

पीठासीन अधिकारी :: मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

वाद संख्या 73 / 2014

बसन्त कुमार मोर बनाम ललीत कुमार मोर आदि

दावाः बाबत इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकॉर्ड, बंटवारा जमीन व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 22 नियम 3 (2) सी.पी.सी. व धारा 151 सीपीसी
प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम

ऐडवोकेट (वादी :–श्री अशोक कुमार जांगिड
ऐडवोकेट (प्रतिवादी) :–श्री राजीव सिंह शेखावत

आदेश

दिनांक 19.11.2019

वकील प्रार्थी प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि उनवानी प्रकरण में एकमात्र वादी बसन्त कुमार मोर का देहान्त दिनांक 22.04.2016 को हो चुका है कानूनन किसी पक्षकार का देहान्त होने पर उसके वारिसान को 90 दिन के अन्दर रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है लेकिन आज दिनांक तक वादी बसन्त कुमार मोर के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है ना ही वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिये कोई प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसलिए वादी का वाद अबैट / उपशमित हो चुका है, जो खारिज होने योग्य है। वादी का देहान्त हुवे करीब 7 माह का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज दिनांक तक बसन्त कुमार मोर के वारिसानों को रिकार्ड पर लेने के लिए कोई प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है जबकि निर्धारित 90 दिवस की अवधि में कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के यहां पेश किया जाना आवश्यक था इसलिये वादी का वाद अबैट हो चुका है तथा खारिज होने योग्य है। किसी पक्षकार का देहान्त होने पर अगर 90 दिवस के भीतर उसके कायम मुकाम पेश नहीं किये जाते है तो वाद स्वतः ही अबैट हो जाता है तथा उसके बाद उक्त अबैटमेन्ट / उपशमन को निरस्त करवाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश करने की मियाद 60 दिन है लेकिन वादी की ओर से कोई कार्यवाही नही की गई है इसलिये वादी का वाद अबैट होने से खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी वादीगण की ओर से कोई जवाब पेश किये बिना सीधे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया गया है कि उनवानी दावे में वादी बसन्त कुमार मोर का स्वर्गवास दिनांक 22.04.2016 को कोलकता में ही हो चुका है। स्व0 बसन्त कुमार मोर कोलकता में निवास करते थे, जिन्होने वाके ग्राम बलवन्तपुरा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 1.16

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

हैक्टर के लिए एक दावा माननीय न्यायालय में इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का किया और अपने मुकदमें में देखभाल करने हेतु अपना मुख्त्यार श्री आनन्द कुमार डालमिया पुत्र श्री कालूराम डालमिया जाति महाजन निवासी 185, नीमीसागर कॉलोनी जयपुर को नियुक्त किया था। उक्त मुख्त्यार ही नवलगढ न्यायालय में अपने वकील श्री अशोक कुमार जागिड से मिलकर मुकदमें की पैरवी करता था। अब दिनांक 21.12.2016 को प्रतिवादी मोहन कुमार मोर ने जरिये मुख्त्यार एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि वादी बसन्त कुमार मोर का देहान्त हो चुका है। इस पर प्रार्थीगण के पिता के अधिवक्ता ने मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया को बताया कि वादी बसन्त कुमार मोर का स्वर्गवास हो गया है तो श्री आनन्द कुमार डालमिया ने प्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2016 को उक्त मुकदमें बाबत बताया तब प्रार्थीगण को उक्त मुकदमों की जानकारी हुई। इससे पूर्व प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी, क्योंकि प्रार्थीगण अपने व्यापार कार्य से अलग–अलग नागपुर, गुडगांव कोलकता अपने परिवार सहित रहते हैं। जब प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें की जानकारी श्री आनन्द कुमार डालमिया द्वारा दिये जाने पर तुरन्त दिनांक 27.12.2016 व दिनांक 28.12.2016 को अलग–अलग अपना मुख्त्यार श्री आनन्द कुमार डालमिया पुत्र कालूराम डालमिया जाति महाजन निवासी 185, नीमीसागर कॉलोनी जयपुर नियुक्त कर मुख्त्यारनामा भिजवाया जो मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया को प्राप्त होते ही दिनांक 04.01.2017 को लेकर नवलगढ़ में अपने वकील साहब के पास प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का पेश करने हेतु पहुंचा ओर तुरन्त ही दिनांक 06.01.2017 को यह प्रार्थना पत्र पेशकर रहा है। वादी स्व0 श्री बसन्त कुमार मोर के निम्नलिखित वारीसान है

1. तारा मोर पत्नी स्व0 बसन्त कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन कॉलकाता 700019
2. कृष्णा मोर पुत्र स्व0 बसन्त कुमार मोर जाति महाजन निवासी 38ए गरचा फस्ट लेन, कॉलकाता 700019 हाल एच 1005 वेम्बली स्टेट, रोजवुड सीटी, सैक्टर –49 गुड़गॉव 122018
3. रूचिका सर्राफ पुत्री बसन्त कुमार मोर, पत्नी आदित्य सर्राफ जाति महाजन निवासी 204, अमृता मनोर, आर.टी. मार्ग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र)।

वादी के वकील द्वारा वादी के मुख्त्यार को सूचना करने पर उक्त मुख्त्यार ने आवेदकगण को सुचित किया तथा आवेदकगण के पिता द्वारा उक्त मुकदमों की बाबत विस्तृत जानकारी दिनांक 26.12.2016 को प्राप्त हाने पर आवेदकगण ने अपना मुख्त्याार श्री आनन्द कुमार डालमिया को नियुक्त किया ओर दावे में आश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा दावे में वर्णित सम्पति प्रार्थीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा है तथा मुकदमा भी बंटवारा का है, बंटवारों के लिए वादकारण निरन्तर रहता है। आवेदकगण को लम्बित वाद बाबत कोई जानकारी नही होने के कारण मजबूरन कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सका। जिसमें प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद नही माना जाता है तो दफा 5 परिसीमा

खण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

अधिनियम का लाभ दिया जाकर देरी के समय को कन्डोन किया जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी को अन्दर मियाद मानकर स्वीकार फरमाया जाकर मृतक वादी बसन्त कुमार मोर के वारीसान को बतौर वादीगण रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र के साथ अलग से प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण मृतक वादी के वारीसान है जो अपने पिता व पति द्वारा दायर किये गये उपरोक्त उनवानी दावा व उसके लम्बित रहने बाबत कोई जानकारी नही होने से उपरोक्त उनवानी दावा व उसके लम्बित रहने बाबत कोई जानकारी नही होने से उपरोक्त उनवानी मुकदमे में मृतक वादी के स्वर्गवास के बाद मृतक के वारीसान को कानूनन रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का अन्दर मियाद पेश नही किया जाने से दावे का उपशमन हो गया है। उक्त ओटोमेटिक अबैटमेन्ट को सेट असाईड किया जाकर मृतक वादी के वारीसान/आवेदकगण को दावे में वादी के स्थान पर बतौर वादीगण पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है। प्रार्थना पेशकर निवेदन किया कि मृतक वादी बसन्त कुमार मोर के उपरोक्त वारीसान को उक्त उनवानी वाद रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

वकील प्रार्थी (वादीगण) ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया कि उनवानी दावा में वादी बसन्त कुमार मोर की मृत्यु होने पर उनके विधिक उतराधिकारियों को प्रार्थना पत्र में उनके स्थान पर बतौर वादीगण रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अब दिनांक 21.12.2016 को प्रतिवादी मोहन कुमार मोर ने जरिये मुख्त्यार एक प्रार्थना पत्र पेशकर बताया कि वादी बसन्त कुमार मोर का देहान्त हो चुका है। इस पर प्रार्थीगण के पिता के अधिवक्ता ने मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया को बताया कि वादी बसन्त कुमार मोर का स्वर्गवास हो गया है तो श्री आनन्द कुमार डालमिया ने प्रार्थीगण को दिनांक 26.12.2016 को उक्त मुकदमे बाबत बताया तब प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें की जानकारी हुई। इससे पूर्व प्रार्थीगण को कोई जानकारी नही थी, क्योंकि प्रार्थीगण अपने व्यापार कार्य से अलग–अलग नागरपुर, गुड़गांव, कोलकता अपने परिवार सहित रहते है। जब प्रार्थीगण को उक्त मुकदमें की जानकारी श्री आनन्द कुमार डालमिया द्वारा दिये जाने पर तुरन्त दिनांक 27.12.2016 व दिनंक 28.12.2016 अलग–अलग अपना मुख्त्यार श्री आनन्द कुमार डालमिया पुत्र कालूराम डालमिया जाति महाजन निवासी 185, नीमीसागर कॉलोनी जयपुर नियुक्त कर मुख्त्यारनामा भिजवाया जो मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया को प्राप्त होते ही दिनांक 04.01.2017 को लेकर नवलगढ़ में अपने वकील साहब के पास प्रार्थना पत्र कायम मुकाम का पेश करने हेतु पहुंचा ओर तुरन्त ही प्रार्थीगण जरिये मुख्त्यार कायम मुकाम की कार्यवाही के लिये यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश कर रहे है। इस कारण प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद में लिया जाकर प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद माना

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद में, उसकी देरी को कन्डोन करके प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी) ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 निमय 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्जानुसार तारीख पेशी का नियुक्त होना निर्विवादित है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कथन कि वादी बसन्त कुमार मोर का स्वर्गवास दिनांक 22.04.2016 को कोलकाता मे हो चुका है स्वीकार है वादी इबारत जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। प्रस्तुत करने वाद पत्र वादी बसन्त कुमार ने स्वयं वाद–पत्र पेश किया है जरिये मुख्त्यार वाद पत्र पेश नही किया गया। आवेदककर्ता का दर्ज कथन कि ''अब दिनांक 21.12.2016 को प्रतिवादी मोहन कुमार मोर ने जरिय मुख्त्यार एक प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि वादी बसन्त कुमार का देहान्त हो चुका है '' हास्यास्पद है जबकि बसन्त कुमार आवेदक कर्तागण के पिता है, इसलिये मोहन कुमार द्वारा बताना कि बसन्त कुमार की मृत्यू हो चुकी है वाहियात तथ्य है। जिनके आधार पर मियाद अधिनियम का फायदा प्राप्त नही किया जा सकता है। दिनांक 21.12.2016 को उतरदाता ने प्रार्थना पत्र पेश किया और प्रार्थना पत्र पेश करने के पश्चात दिनांक 09.01.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जबकि मियाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिन–प्रति, दिन का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। मियाद अधिनियम के अनुसार 90 दिवस की निश्चित समयावधि है यदि उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नही किया जाता है तो वाद–पत्र स्वतः अबैट हो जाता है इसलिये उक्त मद में दर्ज तथ्यों को दर्ज रहने से कानून की स्थिति परिवर्तित नही होती है। यह प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज है। गलत होने से अस्वीकार है। आवेदककर्तागण ने अपनी लापरवाही को छुपाने के लिऐ व उपरोक्त प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद लेने के लिए गलत रूप से उक्त प्रार्थना पत्र में पेश किया है, जबकि अन्तर्गत आदेश 22 के प्रावधान आज्ञापक है जिसके लिए मियाद अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है वादी का वाद स्वतः ही अबैट हो चुका, इसलिए मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र पेश करने का कोई औचित्य नही है। आवेदककर्तागण यह प्ली/आधार नही ले सकते कि उन्हे प्रकरण की जानकारी नही थी क्योंकि कानूनन पिता का ज्ञान पुत्र का ज्ञान माना जाता है। अन्यथा निश्चितता के सिद्धान्त का कोई औचित्य नही रहेगा। वादी बसन्त कुमार द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड का है वादी बसन्त कुमार फौत हो चुका है तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए कायम मुकाम बनाने के लिए अन्तर्गत अनुच्छेद 120 मियाद अधिनियम के तहत अन्तर्गत अवधि 90 दिवस कार्यवाही नही की गई है इसलिए वादी का वाद अबैट हो चुका है प्रार्थीगण का मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया प्रारम्भ से प्रार्थीगण के सर्म्पक में रहा है इसलिए इस दावे बाबत सम्पूर्ण कार्यवाही का प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही ज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

था प्रार्थीगण ने लापरवाही पूर्वक जानबूझकर अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नही किया है व निराधार मौजूदा प्रार्थना पत्र पेशकर न्यायालय से डिले कन्डोन करने की अनुमति चाही है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है कि प्रार्थी अपनी स्वयं की गलती का फायदा नही उठा सकता है कानूनन प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई आधार अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किया है और निराधार व झूठे तथ्य दर्ज कर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारीज है। इसलिये अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व उक्त प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। आवेदकगण ने स्वयं ने प्रार्थना पत्र को अन्दर अवधि नही होना स्वीकार किया है तथा वाद को ऑटोमिटिक अबैट होना भी स्वीकार किया है। जहां तक स्वतः ऑटोमेटिक अबैटमेन्ट को सेट असाईड किये जाने का प्रश्न आवेदकगण ने अबेटमेन्ट से निरस्त करवाने के लिए भी अवधि बाधित आवेदन पेश किया है। मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 121 के तहत वाद पत्र अबैट होने के पश्चात 60 दिवस में अन्दर–अन्दर अबैटमेन्ट को निरस्त करने की कार्यवाही कानूनन की जा सकती है जबकि आवेदनकर्तागण ने दावा अबैट होने के 5 माह 15 दिन के पश्चात उक्त अबैटमेन्ट को सेट असाईड करने की रिलीफ चाही है इसलिये आवेदककर्तागण का प्रार्थन पत्र अवधि बाधित पेश किया है इसलिए आवेदककर्तागण प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे सहित खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है अनावेदनकर्तागण ने प्रार्थना पत्र पेश करने में घोर उदासीनता का परिचय दिया है तथा कायम मुकाम बनाने व अबैटमेन्ट को निरस्त करवाने का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है, जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्रकी मद संख्या 7 कानूनी है तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 नाकाबिले जबाब हैं।

मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 120 व 121 के तहत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दीवानी मियाद बाहर पेश हुआ है इसलिये आवेदनकर्तागण का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। वादी बसन्त कुमार आवेदनकर्तागण का पिता है इसलिये यह स्वीकृत तथ्य है कि आवेदनकर्तागण को मृत्यू बाबत जानकारी न हो इसलिये आवेदकगण आज्ञापक प्रावधान के विपरीत मियाद अधिनियम के विपरीत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वादी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से व प्रार्थी/वादी द्वारा जानबूझकर लापरवाही से अन्दर मियाद कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही करने के कारण दावा अबैट हो चुका है इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जाने की कृपा करे।

वकील अप्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम इस कदर पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होन से अस्वीकार है। आवेदककर्तागण ने

खण्ड अधिकारी
बयान

जानकारी होने के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र में पेश करना बताया है जबकि अन्तर्गत आदेश 22 के प्रावधान आज्ञापक है जिसके लिए मियाद अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है वादी का वाद स्वतः ही अबैट हो चुका है, इसलिए मियाद अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र पेश करने का कोई औचित्य नही है। प्रार्थीगण ने यह गलत कथन दर्ज किया है कि दिनांक 21.12.2016 को प्रतिवादी मोहन कुमार मोर ने जरिये मुख्त्यार प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि वादी बसन्त कुमार मोर का देहान्त हो चुका है तब प्रार्थीगण को बसन्त कुमार मोर के मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया से दिनांक 26.12.2016 को उक्त मुकदमें बाबत जानकारी हुई हो, वास्तव में बसन्त कुमार मोर प्रार्थी नम्बर 1 तारा मोर का पति व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 कृष्णा व रूचिरा सर्राफ का पिता था तथा प्रार्थीया संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित पत्ते पर प्रार्थीया के साथ ही रहता था इसलिए वादी बसन्त कुमार मोर की मृत्यू होना और दावे बाबत जानकारी न होना निहायत ही गलत व आधारहीन और मानव स्वभाव के विरूद्ध है। आवेदककर्तागण यह प्ली नही ले सकते है कि उन्हे प्रकरण की जानकारी नहीं थी क्योंकि कानूनन पिता का ज्ञान पुत्र का ज्ञान माना जाता है। अन्यथा निश्चितता के सिद्धान्त को कोई औचित्य नही रहेगा। वादी बसन्त कुमार द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड का है वादी बसन्त कुमार फौत हो चुका है तथा उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए कायम मुकाम बनाने के लिए अन्तर्गत अनुच्छेद 120 मियाद अधिनियम के तहत अन्तर्गत अवधि 90 दिवस कार्यवाही नही की गई है इसलिए वादी का वाद अबैट हो चुका है तथा अबैटमेन्ट को निरस्त करवाने के लिए भी अन्दर मियाद कार्यवाही नही की गई है इसलिए दावा स्वतः ही खारिज हो चुका है प्रार्थीगण का मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया प्रारम्भ से प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही ज्ञान था प्रार्थीगण ने लापरवाही पूर्वक जानबूझकर अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश नही किया है व निराधार मौजूदा प्रार्थना पत्र पेशकर न्यायालय से डिले कन्डोन करने की अनुमति चाही है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है कि प्रार्थी अपनी स्वयं की गलती का फायदा नहीं उठा सकता है कानूनन प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी को माफ करने के लिए दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है जबकि प्रार्थी ने ऐसा कोई आधार अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज नही किया है और निराधार व झूठे तथ्य दर्ज कर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश नही है।

इसके अतिरिक्त कथन किया कि वादी बसन्त कुमार मोर प्रार्थीगण संख्या 1 का पति व प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का पिता है इसलिए यह स्वीकृत तथ्य है कि बसन्त कुमार मोर की मृत्यू बाबत प्रार्थीगण को पूर्ण जानकारी थी और निश्चितता के सिद्धान्त के अनुसार कानून पिताका ज्ञान पुत्र का ज्ञान माना जाता है इसलिए यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त दावे बाबत भी प्रार्थीगण को सम्पूर्ण जानकारी थी और प्राथीगण का मुख्त्यार व वादी बसन्त कुमार मोर का मुख्त्यार एक ही व्यक्ति है जिसकी प्रार्थीगण से पहले से अच्छी

खण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

जानकारी थी और आपस मेल–मिलाप था और प्रार्थीगण इस दावे बाबत भी मुख्त्यार आनन्द कुमार डालमिया से जानकारी लेते रहे है इसलिए भी इस दावे की सम्पूर्ण कार्यवाही बाबत प्रार्थीगण को जानकारी थी प्रार्थीगण ने जानबूझकर लापरवाही पूर्वक कायम मुकाम की कार्यवाही अन्दर मियाद नही की इसलिए वादीगण का प्रार्थना पत्र ध्धारा 5 मियाद अधिनिमय खारिज होने योग्य है। प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से व प्रार्थी/वादी द्वारा जानबुझकर लापरवाही से अन्दर मियाद मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नही किया इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 निमय 3(2) सीपीसी पर एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी का व धारा 5 परीसीमा अधिनियम का जावाब प्रस्तुत होने तीनों प्रार्थना पत्रों पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने आर.एल.डब्ल्यू. 2006 (2)आर.जे. पेज 1316, आर.आर.टी. 2009 पार्ट II पेज 1092, आर.आर.टी. 2009 पार्ट I पेज 467 आर.बी., , आर.आर.टी. 2007 पार्ट II पेज 1273 आर.बी., आर.एल.डब्ल्यू. 2010 (2) आर.जे. पेज 1288, आर.बी.जे. (II) 2004 पेज 623 (एस.सी.) आर.आर.डी. 1996 पेज 471 एवं वकील प्रतिवादी ने आर.एल.डब्ल्यू 2001 पार्ट I पेज 427, आर.आर.टी. 2015 एससी पेज 232, आर.एल.डब्ल्यू 2002 पार्ट II पेज 1167, ए.आई.आर. (एस.सी.) 1973 पेज 204 (डीबी) की प्रति पेश की।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त संबंध में वादी व प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र जवाब बहस व न्यायिक दृष्टान्त का अध्ययन व मनन किया। प्रकरण में वाद पत्र के एकमात्र वादी श्री बसन्त कुमार मोर की मृत्यू दिनांक 22.4.16 को होना निर्विवाद है तथा वादी पक्ष भी यह स्वीकार कर रहा है कि मृतक वादी की मृत्यु के बाद मृतक के वारिसान को कानूनन रिकार्ड पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का अन्दर मियाद पेश नही किये जाने से दावे का उपशमन हो गया है। वाद के उपशमन (Automatic Abatement) के संबंध मे दोनो पक्षों में कोई विवाद नही है। वादी के वारिसान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 9 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त दावे के Automatic Abatement को सेट असाईड कर मृतक के वारिसान को दावे में वादी के स्थान पर बतौर वादीगण पक्षकार बनाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी में निवेदन किया गया है कि वादी बसन्त कुमार मोर ने अपने मुकदमें में देखभाल करने हेतु अपना मुख्त्यार श्री आनन्द कुमार डालमिया को नियुक्त किया था, उक्त मुख्त्यार ही नवलगढ न्यायालय में अपने वकील से मिलकर मुकदमें की पैरवी करता था।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद पत्र स्वयं वादी श्री बसन्त कुमार मोर के हस्ताक्षरों से पेश किया गया था तथा पत्रावली पर ऐसा कोई मुख्त्यारनामा पेश भी नही हुआ है जिससे यह प्रमाणित हो

खण्ड अधिकारी
नवलगढ

2007 (2)आरआरटी 1273 में केवल 2 दिन का विलंब था। आरएलडब्लू 2010 (2) आरजे 1288 में अप्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के थे एवं सह काश्तकारों के मध्य भूमि के बंटवारें हेतु उनके दादा द्वारा जो वाद दायर किया गया था उससे वे अनभिज्ञ थे जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण शहरी एवं महानगर के निवासी है तथा ऊपर किये गये विवेचन अनुसार प्रार्थीगण को प्रश्नगत वाद की जानकारी नही हो, प्रमाणित नही होता है।

आरबीजे (II)2004 पेज 623 में अपील के एबेटमेंट को सेट असाईड करने हेतु एवं विलंब माफी हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने से संबंधित था जबकि इस प्रकरण में ऐसा कोई विवाद नही है।

आरआरडी 1996 पेज 472 में अबेट हुए दावे के अबेटमेट को सेट असाईड कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया था जबकि प्रकरण में इसी प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर अक्षरशः चस्पा नही होते है।

वादी की मृत्यु की तिथी से 90 दिन में वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा 90 दिन में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही होने पर स्वतः एबेटमेंट को सेट असाईड करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मियाद 60 दिन है। प्रकरण में वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र निर्धारित समयाविध में प्रस्तुत नही किया गया है तथा स्वतः एबेटमेंट को सेट एसाईड करने हेतु प्रार्थना पत्र भी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नही किया गया है तथा विलंब के जो आधार बताये गये है वे प्रार्थना पत्र से ही विरोधाभाषी सिद्ध होते है। न्यायिक निर्णयों अनुसार भी सद्भाविक प्रकरणों में ही न्यायालय को उदार रूख अपनाना चाहिये।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3(2) व धारा 151 सीपीसी दिनांक 21.12.2016 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद अबेट किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कायम मुकाम आदेश 22 नियम 3 व आदेश 22 नियम 9 व धारा 151 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज किये जाते है। निर्णय आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-11-19
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.22 16:55:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: